वध

न्यायालयः अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 2, दक्षिण, उदयपुर

बनाम

सीआईएस नंबर ....../2022

एफआईआर नंबर 88/2022 पीएस भूपालपुरा

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

एफआर नंबर 13/2022 पीएस कुराबड़

अपराध अंतर्गत धारा– 363 भा.दं.सं.

अनवान रता उर्फ रतनलाल बनाम राज्य

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालन की संक्षिप्त टिप्पणी
दिनांक 25.07.2022 एपीओ उपस्थित। थानाधिकारी पुलिस थाना कुराबड की ओर से थाना हाजा के पंजीबद्ध प्रकरण एफआईआर नंबर 88/2022 अपराध अंतर्गत धारा 363 भा.द.सं. के आरोप में बाद अनुसंधान मार्फत एपीओ नतीजा एफआर अदम वकुआ तथ्य की भूल में कता कर पेश की। कार्यालय से एफआर पर रिपोर्ट ली गई। कार्यालय रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर एफ आर हो। परिवादी रता उर्फ रतन लाल उपस्थित। परिवादी को कानि. श्री घनश्यामसिंह नंबर 1248 पीएस कुराबड ने शिनाख्त किया। परिवादी ने हस्तगत प्रकरण में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान से सहमत होते हुए एफआर स्वीकार की है तथा कोई कार्यवाही नहीं चाही है। सुना गया। एफआर का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी ने बाद अनुसंधान एफआर अदम वकुआ तथ्य की भूल में कता कर पेश की है। चूंकि जब परिवादी पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान से सहमत है एवं हस्तगत प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है व एफआर स्वीकार की है। ऐसी सूरत में हस्तगत प्रकरण में पुलिस द्वारा किए गए अनुसंधान में हस्तक्षेप किया जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः परिवादी के निवेदन के आधार पर एफआर अदम वकुआ तथ्य की भूल में स्वीकार की जाती है एफआर फैसल शुमार हो। वास्ते आदेश दाखिल दफ्तरी दिनांक 13.08.22 को नेशनल लोक अदालत में पेश हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2 दक्षिण उदयपुर	FR स्वीकार है। कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं रता प्रार्थी रतनलाल की पहचान की 1248 घनश्याम सिंह 1248 P.S कुराबड़
दिनांक 13.08.2022 प्रकरण वास्ते अंतिम निस्तारण आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंच संख्या 08 के समक्ष प्रस्तुत हुआ। प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 25.07.2022 को फैसल किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण पत्रावली बाद आवश्यक इन्द्राज पूर्ति रजिस्टर दाखिल दफ्तर होवे। सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत	

Scanned by CamScanner